—प्रेस नोट—

जनपद मीरजापुर।

दिनांक – 10.06.2022

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के 02 आरोपीयों को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 9000-9000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई —

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में, थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹ 9000-9000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.02.2018 को थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत निवासी चन्द्र भूषण सिंह पुत्र ओम शंकर द्वारा थाना स्थानीय पर नामजद अभियुक्तों को विरूद्ध वादी की चाची की हत्या करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-48/2018 धारा 302,307,34 भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने का दोषी पाया गया। आरोपी को दिनांक 10.06.2022 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश III मीरजापुर आजीवन कारावास एवं ₹ 9000-9000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

1.बरकत मंशूरी पुत्र इमामुद्दीन निवासी मुइकुंठा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

2.रविशंकर उर्फ पप्पू उर्फ माझू पुत्र प्रेम शंकर निवासी मुइकुंठा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।